न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 36/2023 (2023/117)

1. न्याली पत्नि छोटूलाल कुम्हार जाति कुम्हार निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. अलानूर पुत्र जमाल खां
2. किशनी देवी पत्नि मोतीलाल जाट
3. भागचन्द पुत्र मोतीलाल जाट
4. अमरचन्द पुत्र मोतीलाल जाट
5. राजेन्द्र चौधरी पुत्र ओमप्रकाश चौधरी
   निवासीगण भैरूगेट, पुराना कोटा रोड चुंगी के पास केकड़ी
6. रामनिवास पुत्र किशनलाल जाट
7. लाभचन्द रेगर पुत्र उगमा रेगर
   निवासीगण भैरूगेट, बडा गुवाडा केकड़ी
8. बाबूलाल पुत्र बन्नालाल रेगर जाति रेगर निवासी देवलीकलां तहसील देवली जिला टोंक
9. गंगादेवी पत्नि माधु जाट
10. कान्ता पुत्री माधु जाट
11. रसाली पत्नि लादू जाट
12. सत्यनारायण पुत्र लादू जाट
    निवासीगण भैरूगेट, बडा गुवाडा केकड़ी
13. सुखलाल पुत्र रामदयाल जाट निवासी भैरूगेट चुंगी के पास कादेडा रोड केकड़ी
14. गणेश पुत्र किशनलाल जाट
15. रामनिवास पुत्र किशनलाल जाट
    निवासीगण पुराना कोटा रोड चुंगी के पास केकड़ी
16. अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका केकड़ी
17. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका केकड़ी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री कमलेश कुमार शर्मा - अधिवक्ता प्रार्थीया
2. पैराकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी - अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 16.06.2023

पत्रावली पेश की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व ...नियम के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/करबा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में ...त है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

...ाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1063-943	2955	0.82	बारानी 1
	2956	0.44	बारानी 1
	कुल किता 2	कुल रकबा 1.26 हैक्टर	

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया के प्रार्थनापत्र अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात है व प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है एवं प्रार्थीया के कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। प्रार्थीया की उक्त आराजी के सीमा चिन्ह खुर्द बुर्द हो गये तथा पडोसियों से आये दिन कब्जे काश्त में लडाई झगडा होते है, क्योंकि अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते है। प्रार्थीया को अपने हिस्से की आराजीयात पर फसल सुरक्षार्थ तारबन्दी करवानी है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 17.05.2022 को इस आशय का एक प्रार्थनापत्र श्रीमान तहसीलदार केकड़ी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर संबंधित पटवारी हल्का को आराजीयात का नाम चौप करवाने हेतु निर्देशित किया, लेकिन पटवारी हल्का ने नाप चौप करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 05.03.2023 को प्रार्थीया आवश्यक कार्य करने आराजीयात पर गई तो अप्रार्थीगण एवं पडोसियों ने सीमा चिन्ह नही होने की धमकी दी एवं हकाई बवाई नही करने दी जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 17 के बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा केकड़ी तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 1063–943 में दर्ज खसरा नम्बर 2955, 2956 किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकडी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)